

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-10/01/2020

विषय:- विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु पूर्व में स्वीकृत नाला निर्माण मद की योजना के लिए देनदारी की राशि कुल ₹46.37550 लाख (छियालीस लाख सैंतीस हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2019-20 में नाला निर्माण एवं सैनिटेशन मद से सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगर पंचायत, परसा बाजार में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को स्तम्भ- 4 में अंकित विभागीय राज्यादेश द्वारा स्तम्भ- 5 में अंकित राशि के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 6 के अनुरूप राशि आवंटित की गई थी। कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत, परसा बाजार के पत्रांक- 632, दिनांक- 04.09.2019 द्वारा उक्त आवंटित राशि के व्ययोपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित योजना के लिए स्तम्भ- 07 में अवशेष राशि कुल ₹46.37550 लाख (छियालीस लाख सैंतीस हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र की स्वीकृति नाला निर्माण एवं अन्य सैनिटेशन मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश सं०/दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पंचायत, परसा बाजार	दरोगा राय चौक, परसा से अर्जुन सिंह (परसा, मथुरा) के घर तक नाला निर्माण कार्य।	77/ 06.12.2017	92.75100	46.37550	46.37550

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹46.37550 लाख (छियालीस लाख सैंतीस हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत ₹46.37550 लाख (छियालीस लाख सैंतीस हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर

विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019 एवं पत्रांक- 733, दिनांक- 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि पंचायत, परसा बाजार के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। तदोपरांत कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, परसा बाजार द्वारा कार्यकारी एजेंसी बुडको को राशि हस्तांतरित की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. उक्त स्वीकृत ₹46.37550 लाख (छियालीस लाख सैंतीस हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल-जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 193-नगर पंचायतो/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215021930102, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/सड़क-09-01/2019 के पृष्ठ सं०-.....५१...../टि० पर दिनांक-.....०३/०१/२०२० को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....५२...../टि० पर दिनांक-.....०९/०१/२०२० को प्राप्त है ।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अ

11. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला पदाधिकारी, सारण/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, परसा बाजार/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10.01.20

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2019 168 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-10/01/2020

प्रतिलिपि:— प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला पदाधिकारी, सारण/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, परसा बाजार/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/प्रशाखा पदाधिकारी—सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.01.20

सरकार के विशेष सचिव।

10.01.20